भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1152

दिनांक 03 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

पशु आश्रय गृहों का निर्माण

1152. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान पशु के लिए आश्रय गृहों के निर्माण हेतु केन्द्रीय योजना के अंतर्गत बजट आबंटन तथा वास्तविक व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के प्रारंभ से निर्मित आश्रय गृहों की संख्या वर्ष-वार/राज्य-वार कितनी है; और

(ग) क्या योजना में आवर्ती अनुदान का प्रावधान है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) वर्तमान वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र योजना 'पशुओं की देखभाल के लिए आश्रय गृहों का प्रावधान' के अंतर्गत बजट आबंटन और वास्तविक व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि रु. में)

क्र. संख्या	वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन	प्राप्त बजट	व्यय
1	2024-25	1,00,00,000	शून्य	30,24,826/-
2	2023-24	1,50,00,000	73,24,826/-	42,22,048/-
3	2022-23	1,50,00,000	75,00,000/-	70,03,535/-
4	2021-22	1,50,00,000	1,50,00,000/-	1,50,00,000/-

(ख) आश्रय गृह योजना का क्रियान्वयन भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। एडब्ल्यूबीआई ने वर्ष **2004-05** से वर्ष **2023-24** तक गौशालाओं सहित **441** पशु कल्याण संगठनों को केंद्रीय क्षेत्र योजना "पशुओं की देखभाल के लिए आश्रय गृहों का प्रावधान" के तहत वित्तीय सहायता जारी की है। वर्षवार/राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. संख्या	राज्य- वार	वित्त वर्ष	जिन एडब्ल्यू को आश्रय अनुदान जारी किया गया उनकी संख्या
1	आंध्र प्रदेश	2004-05	2
2		2005-06	6
3		2009-10	2
4		2012-13	1
5	बिहार	2010-11	1
6	छत्तीसगढ	2006-07	1
7		2010-11	1
8	गोवा	2004-05	1
9	गुजरात	2004-05	2
10		2005-06	2
11		2006-07	4
12		2007-08	2
13		2008-09	2
14		2009-10	5
15		2011-12	2
16		2012-13	1
17		2013-14	1
18		2019-20	1
19	हरियाणा	2005-06	1
20		2006-07	6
21		2007-08	4
22		2008-09	17
23		2009-10	1
24		2010-11	2
25		2011-12	1
26		2012-13	1
27		2013-14	2
28		2014-15	3
29		2018-19	1
30		2020-21	3
31		2021-22	1
32		2022-23	1
33	हिमाचल प्रदेश	2005-06	1
34	जम्मू और कश्मीर	2008-09	1
35	झारखंड	2009-10	3
36	कर्नाटक	2004-05	1
37		2005-06	1
38		2006-07	2
39		2008-09	2
40	केरल	2005-06	1
41		2008-09	1
42		2010-11	1
43	मध्य प्रदेश	2004-05	4
44		2005-06	11

45		2006-07	10
46		2008-09	23
47		2009-10	16
48		2010-11	4
49		2011-12	4
50		2012-13	8
51		2013-14	5
52		2014-15	6
53		2019-20	1
54		2020-21	1
55		2021-22	3
56	महाराष्ट्र	2004-05	4
57		2005-06	4
58		2006-07	5
59		2008-09	2
60		2009-10	4
61		2010-11	3
62		2011-12	1
63		2012-13	1
64		2018-19	1
65	नागालैंड	2006-07	1
66	नई दिल्ली	2004-05	2
67		2005-06	1
68		2006-07	2
69		2014-15	1
70	ओडिशा	2004-05	2
71		2005-06	3
72		2006-07	1
73		2010-11	1
74	पंजाब	2005-06	1
75		2006-07	6
76		2009-10	3
77		2010-11	2
78		2013-14	1
79		2014-15	1
80	राजस्थान	2004-05	1
81		2005-06	2
82		2006-07	12
83		2007-08	3
84		2008-09	23
85		2009-10	23
86		2010-11	8
87		2011-12	10
88		2012-13	11
89		2013-14	14
90		2014-15	3
91		2018-19	1
92		2019-20	2

93		2020-21	1
94		2021-22	3
95		2022-23	1
96	तमिलनाडु	2004-05	1
97		2005-06	1
98		2006-07	3
99		2008-09	2
100		2010-11	1
101		2011-12	1
102	तेलंगाना	2018-19	1
103	उत्तर प्रदेश	2004-05	3
104		2005-06	6
105		2006-07	8
106		2007-08	4
107		2008-09	13
108		2009-10	8
109		2010-11	2
110		2011-12	1
111		2012-13	3
112		2013-14	6
113		2014-15	2
114		2017-18	1
115		2019-20	3
116		2022-23	1
117	उत्तराखंड	2008-09	1
118	पश्चिम बंगाल	2005-06	3
119		2006-07	1
120		2008-09	2
121		2012-13	1

(ग) इस योजना के अंतर्गत आवर्ती अनुदान प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

*****